परिणामी बजट वर्ष 2016-17

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2016-17	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु अनुदान	प्रदेश के कृषकों को कृषि कार्य हेतु ब्याज मुक्त अल्पकालिन ऋण उपलब्ध कराने से समितियों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता।	1400000	लगभग 10,50,000 कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
2	सहकारी शक्कर कारखाना	सहकारी शक्कर कारखानों को व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना ।	550000	3 सहकारी शक्कर कारखाना को गन्ना पेराई कार्य हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।	
3	सहकारी समितियों के लिए अंशपूंजी	सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, सहकारी शक्कर कारखाना, विपणन समितियां, आदि को उनकी अंशपूंजी में धवेष्ठन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	413500	**1.** 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हेतु **2.** 400 कृषि साख सहकारी समितियों हेतु **3.** 01 सहकारी शक्कर कारखाना हेतु **4.** 06 विपणन सहकारी समितियों हेतु अंशपूजी द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी	
4	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण	विपणन सहकारी समितियोंको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न वयवसाय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	9600	इस योजना के द्वारा 07 विपणन सहकारी समितियों को उनकी विभिन्न व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।	
5	सहकारी समितियों में अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के सदस्य बनाने के लिये अंश क्रय हेतु अनुदान	सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को सदस्य बनाने के लिए अंशक्रय हेतु अनुदान ।	5500	इस योजना के द्वारा लैम्पस/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/ विपणन सहकारी समितियों में 15,000 सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सदस्य बनाया जावेगा ।	

परिणामी बजट वर्ष 2016-17

विभाग- सहकारिता विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त (सहकारिता) एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आयोजना राशियां 2016-17	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
6	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुद्देशीय समितियों में उन्नयन	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में उन्नयन करना ।	5000	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता सामाग्री का विक्रय एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।	
7	जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी होने वाली हाति की प्रतिपूर्ति हेतु प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराना ।	2500	लगभग 250 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को उनकी व्यवसाय में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रब्रधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा ।	
8	सूखा प्रभावित कृषकों के लिये कृषि ऋण राहत योजना	प्रदेश के सूखा प्रभावित कृषकों को उनके अल्पकालीन कृषि ऋणों की 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर राज्य शासन द्वारा मूल ऋण की 25 प्रतिशत राशि माफ की जाएगी ।	500000	प्रदेश की 117 सूखा प्रभावित तहसीलों में 1.50 लाख कृषक लाभान्वित होंगें	
9	राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सहकारी बैंकों में विलय	राज्य/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का संविलयन राज्य/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया गया, जिसके फलस्वरूप इन बैंकों की संचित हानि तथा प्रावधानों में कमी हुई है । अत: भारतीय रिजर्व बैंक के शर्तो के अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है ।	426300	02 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी	